

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री धीरेन्द्र असारसा
निवासी रोज च्यू आबूपर्वत
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.34 वर्ष 2022

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|--------------|---|---|
| 16.05.2022 | <p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 22.10.2021 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पत्र क्रमांक 242 दिनांक 25.02.2021 की पालना में उपस्थित वरिष्ठ आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस. अधिकारियों के नाम एवं सूची से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 22.10.2021 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पत्र क्रमांक 242 दिनांक 25.02.2021 की पालना में उपस्थित वरिष्ठ आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस. अधिकारियों के नाम एवं सूची से सम्बन्धित सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> | |

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

